न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –165/2018

अनवान : –

1. लालसिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. बलराम पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. धर्मपाल पुत्र कलीराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
2. कृष्णा पुत्री धर्मपाल पत्नी रणजीतसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा हाल डूंगरसिंहपुरा त0 भादरा।
3. कमला पुत्री धर्मपाल पत्नी प्रभूराम जाति जाट निवासी मलखेडा हाल डूंगरसिंहपुरा त0 भादरा।
4. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबडी त0 भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादी**
श्री विक्रम शर्मा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 13/03/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 12 एएमएस के मु0 न0 30 किला न0 4, 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24, मु0 न0 31 किला न0 4 कुल 3.036है0 नहरी बारानी मय रास्ता व चक 14 एएमएस के मु0 न0 35 किला न0 11 व 12, किला न0 19/1, 20/2, मु0 न0 36 किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 2.277है0 नहरी व चक 1 एसडीआर के मु0 न0 53 किला न0 3/1, 7/1, 8/1 कुल 0.506है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी धर्मपाल खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा कलीराम की खातेदारी हुआ करती थी। कलीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी धर्मपाल के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी धर्मपाल कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी धर्मपाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी धर्मपाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से इकबालदावा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क किया। साक्ष्यवादी में वादी शेरसिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा के साक्षय करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही चक 12 एएएमएस संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 14 एएमएस संवत 2075 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 1 एसडीआर संवत 2074–77 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 12 एएमएस संवत 2040 प्रदर्श 4, जमाबंदी चक 14 एएमएस संवत 2053 ता 2056 प्रदर्श 5, जमाबंदी चक 1 एसडीआर संवत 2047 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 12 एएमएस के मु0 न0 30 किला न0 4, 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24, मु0 न0 31 किला न0 4 कुल 3.036है0 नहरी बारानी मय रास्ता व चक 14 एएमएस के मु0 न0 35 किला न0 11 व 12, किला न0 19/1, 20/2, मु0 न0 36 किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 2.277है0 नहरी व चक 1 एसडीआर के मु0 न0 53 किला न0 3/1, 7/1, 8/1 कुल 0.506है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी धर्मपाल खातेदारी के नाम भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये अपना इकबालदावा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 12 एएमएस के मु0 न0 30 किला न0 4, 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24, मु0 न0 31 किला न0 4 कुल 3.036है0 नहरी बारानी मय रास्ता व चक 14 एएमएस के मु0 न0 35 किला न0 11 व 12, किला न0 19/1, 20/2, मु0 न0 36 किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 2.277है0 नहरी व चक 1 एसडीआर के मु0 न0 53 किला न0 3/1, 7/1, 8/1 कुल 0.506है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी धर्मपाल खातेदारी दर्ज है। उसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी 1 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ